**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः **113/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Adarsh Gopawat Add: Kharsan, Vallabhnagar, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

# निर्णय

**दिनांकः** 18/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329923399827661 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 457846252 दिनांक 29.07.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/113/25/770–71 दिनांक 29.07.2025, पत्रांक 856–57 दिनांक 21.08.2025, पत्रांक 869–70 दिनांक 26.08.2025, पत्रांक 1013–14 दिनांक 26.09.2025, पत्रांक 1291–92 दिनांक 22.12.2025 तथा पत्रांक 193–94 दिनांक 02.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ./2026/203 दिनांक 10.03.2026 से प्रत्युत्तर करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः निवेदन है कि प्रथम अपील निरस्त फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपने पत्रांक 11 दिनांक 19.02.2026 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दिये जाने से प्रकरण में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराये तथा प्रथम अपील में निर्धारित समयावधि में अपीलोत्तर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.18 18:54:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22292083
M e-Sign